

भारत की खनन क्षमता

यह एडिटोरियल 21/07/2023 को 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Incentivising mineral exploration" लेख पर आधारित है। इसमें खनन क्षेत्र में भारत की संभावनाओं और उससे जुड़ी चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिमिस के लिये:

भारत का खनन उद्योग, खान और खनजि (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957, भारत के लिये महत्वपूर्ण खनजि, दुरलभ पृथ्वी तत्त्व (REE)


मेन्स के लिये:

भारत का आरथिक उदारीकरण और खनन क्षेत्र, भारत के खनन क्षेत्र का महत्व- संभावनाएँ और चुनौतियाँ

खनजि (Minerals) बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं जो मूलभूत उद्योगों के लिये आवश्यक कच्चे माल के रूप में कार्य करते हैं। कसी राष्ट्र के समग्र औद्योगिक विकास के लिये खनन उद्योग का विकास आवश्यक है।

भारत के खनन उद्योग (mining industry) में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि और विदेशी मुद्रा आय अर्जन को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करने तथा भवन, अवसंरचना, मोटर वाहन एवं बिजिती जैसे उद्योगों को उचित दरों पर आवश्यक कच्चे माल उपलब्ध कराने के माध्यम से प्रतिस्परद्धात्मक बढ़त देने की क्षमता है।

मज़बूत घरेलू मांग और वैश्विक विनियमिताओं के बीच अपने संयंत्रों को भारत में स्थानांतरित करने की बढ़ती रुचि के साथ, भारत के पास विनियमन के लिये एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने का एक व्यापक अवसर मौजूद है। खनजियों और धातुओं के मामले में भारत की विशाल क्षमता देश के आकर्षण को बढ़ाती है। हालाँकि भारत के विशाल खनजि भंडार के बावजूद, इसका खनन क्षेत्र अभी भी लीगेसी संबंधी मुददों (legacy issues : पूर्व के नियन्य, कृत्यों आदि के परिणामस्वरूप वरतमान परदृश्य) से प्रभावित है।



भारत के खनन क्षेत्र का वर्तमान परिदृश्यः

■ नजीकरण का संक्षेपित इतिहासः

- नबबे के दशक की शुरुआत के [भारत के आरथिक उदारीकरण \(economic liberalisation\)](#) और राष्ट्रीय खनजि नीति (National Mineral Policy), 1993 ने भारत में खनजि अन्वेषण के लिये नजी नविश का मार्ग प्रशस्त किया है।
 - नए मानदंडों के अनुसार, नजी कंपनियाँ 'पहले आओ पहले पाओ' (FCFS) प्रणाली के तहत भारत में अन्वेषण परमटि के लिये आवेदन कर सकती हैं, जिससे उन्हें कसी भी खोजे गए खनजि का पता लगाने और फिर उसका खनन करने या बिक्री करने का अधिकार प्राप्त होता है।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्यसमूह की वर्ष 2011 की एक रपोर्ट में खनजि अन्वेषण के क्षेत्र में नजी नविश को प्रोत्साहित करने में FCFS प्रणाली के महत्त्व को रेखांकित किया गया।
 - हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2012 के अपने नियम में कहा कि प्राकृतिक संसाधन आवंटन की FCFS पद्धति हिफेज, पक्षपात एवं दुरुपयोग के लिये अतिसंवेदनशील है। इसमें आगे कहा गया कि इच्छा जोखमि और उच्च नविश के साथ, नीलामी नजी नविश को बाधित करेगी।
- [खान और खनजि \(विकास और वनियमन\) अधनियम, 1957 \(MMDR Act\)](#) में वर्ष 2015 के संशोधन ने खनजि आवंटन के लिये FCFS के आधार को नीलामी से प्रतिस्थापित कर दिया।

■ भारतीय अरथव्यवस्था में योगदानः

- खनजि खनन (Mineral mining) आरथिक विकास पर प्रभाव डालने वाले सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है।

- रोजगार सृजन के मामले में यह कृषकों के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 11 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है और लगभग 55 मिलियन लोगों की आजीविका बनाए रखता है।
- **खनन क्षेत्र में भारत के लिये अवसर:**
 - भारत लौह अयस्क उत्पादन के मामले में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है (वर्ष 2021)।
 - भारत में संयुक्त एल्युमीनियम उत्पादन (प्राथमिक एवं द्वितीयक) वर्तित वर्ष 2021 में 4.1 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के स्तर पर था; इस प्रकार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया।
 - वर्ष 2023 में भारत में वसितारति विद्युतीकरण और समग्र आरथकि विकास के कारण खननि की मांग 3% तक बढ़ने की संभावना है।
 - भारत इस्पात एवं एल्युमिनियम के मामले में उत्पादन एवं रूपांतरण लागत (**production and conversion costs**) में उच्चति लाभ की स्थिति रखता है। इसकी रणनीतिकि अवस्थिति विकासिति देशों के साथ-साथ तेज़ी से विकास कर रहे एशियाई बाज़ारों में नियात संभावनाओं को सक्षम बनाती है।





METALS AND MINING



MARKET SIZE

Trend Point: GVA from mining and quarrying stood at US\$ 43.3 billion in FY22, as per the advance estimates.




Note: RE- Second Revised Estimate ; GVA - Gross Value Added




SECTOR COMPOSITION

Share of States In Mineral Production (in terms of production value, FY22E)



Note: E- Estimate

Mineral Production in India (in US\$ billion)^\wedge



Note: ^Excluding atomic and fuel minerals, P- Provisional, E- Estimate



KEY TRENDS



GOVERNMENT INITIATIVES



- Demand growth: In 2023, the mineral's demand is likely to increase by 3%, driven by expanded electrification and overall economic growth in India.
- Attractive opportunities: Under PLI Scheme for Specialty Steel, 67 applications from 30 companies have been selected that will attract committed investment of Rs. 42,500 Crore (US\$ 5.1 billion) with a downstream capacity addition of 26 million tonne and employment generation potential of 70,000.
- Policy support: Enactment of Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021 enabled captive mines owners (other than atomic minerals) to sell up to 50% of their annual mineral (including coal) production in the open market.
- Competitive advantage: India holds a fair advantage in cost of production and conversion costs in steel and alumina. As of FY22, the number of reporting mines in India were estimated at 1,245, of which reporting mines for metallic minerals were estimated at 525 and non-metallic minerals at 720.



ADVANTAGE INDIA

भारत की खनन क्षमता का अन्वेषण क्यों महत्त्वपूर्ण है?

■ सतत परिवहन के लिये:

- भारत की नवयुगीन अरथव्यवस्था के अत्यधिक खनजि गहन (mineral intensive) होने की संभावना है। चूँकि इसदशक के शेष वर्षों

- में भारत की EV बैकिरी तेज़ी से बढ़ने वाली है इसलिये लथियम, कोबाल्ट, निक्लेइंस, और ग्रेफाइट की मांग उच्च होगी।
- इसके साथ ही इसपात के रूप में लौह अयस्क, एल्युमीनियम के स्रोत के रूप में बॉक्साइट और कॉपर की मांग अधिक होगी, क्योंकि इनका उपयोग सभी प्रकार के वाहनों में किया जाता है।
- सहज ऊर्जा संकरण के लिये:**
 - वशिष्ठ रूप से ऊर्जा-संकरण खनियों की मांग में भारी वृद्धि होने का अनुमान है, जोआंशकि रूप से **उननत रसायन सेल (ACC) बैटरी, सोलर पीवी मॉड्युल, बड़े घरेलू उपकरण (white goods)** और इलेक्ट्रॉनिक्स वनिश्माण के लिये **प्रोडक्शन-लिकिड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं** में भागीदारी से प्रेरित होंगे।
- नवीकरणीय ऊर्जा के लिये:**
 - भारत का वर्ष 2030 तक 500GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्ति का लक्ष्य** काफी हद तक सौर एवं पवन क्षमता से पूरा किया जाएगा।
 - हालाँकि, **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA)** का अध्ययन है कि टिटवर्ती पवन संयंत्र को गैस-संचालित बिजली संयंत्र की तुलना में 9 गुना अधिक खनियों की आवश्यकता होती है।
 - एल्युमीनियम और कॉपर सौर ऊर्जा के लिये महत्वपूर्ण हैं लेकिन **पवन ऊर्जा को दुरलभ मृदा तत्त्वों (Rare Earth Elements-REE)**, ज़कि, कॉपर एवं एल्युमीनियम की आवश्यकता होती है।
- पारंपरिक क्षेत्रों के लिये:**
 - आवास, अवसंरचना और परविहन क्षेत्र लौह अयस्क, बॉक्साइट, कॉपर, लाइमस्टोन, क्रोमियम, ज़कि आदि की मांग को बढ़ावा देंगे।
 - तीव्र औद्योगिक विकास से वर्ष 2030 तक लौह अयस्क, बॉक्साइट, ज़कि, कॉपर, निक्लेइंस आदि की घरेलू मांग दोगुनी हो जाने का अनुमान है।
 - प्राथमिक क्षेत्र में, खाद्य सुरक्षा और कृषि इनपुट के रूप में रॉक फॉस्फेट और ज़कि पर काफी निर्भरता है।

भारत की खनन क्षमता से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ:

- वनियामक बाधाएँ:**
 - भारतीय कानून कसी खननकरता को कसी राज्य में खनजि के लिये 10 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र में खनन पट्टा रखने की अनुमति नहीं देता है।
 - हालाँकि इस सीमा को कुछ राज्यों द्वारा वसितारति किया गया है, केंद्रीय स्तर पर यह सीमाप्रमुख कंपनियों को नीलामी में भाग लेने से बाधित करती है।
- अपराधिक खनजि अन्वेषण:**
 - प्रयोग्य खनजि अन्वेषण की कमी, एक अन्य महत्वपूर्ण बाधा है। वशिष्ठकरतांबा, जस्ता, सीसा, सोना, चाँदी जैसे गहराई में स्थिति खनियों (**deep-seated minerals**) के अन्वेषण पर भारत का व्यय काफी कम रहा है।
- आयात पर उच्च निर्भरता:**
 - अन्वेषण के अभाव और खनन पर फोकस की कमी के कारण वर्ष 2021-22 में खनियों एवं धातुओं के आयात पर भारत का खर्च 157 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया (जो कुल आयात का लगभग 1/4 हस्तिा है)।
- दोहरा कराधान:**
 - लौह अयस्क और बॉक्साइट जैसे खनियों को 'रॉयल्टी ऑन रॉयल्टी' के रूप में दोहरे कराधान की समस्या का सामना करना पड़ता है।
 - चूंकि रॉयल्टी औसत बैकिरी मूल्य (ASP) पर देय है और कानून द्वारा इसमें रॉयल्टी की अनुमति दी गई है जिससे खनजि उपयोगकरता 'रॉयल्टी ऑन रॉयल्टी' का भुगतान करते हैं, जो उनकी लागत प्रतिस्परद्धात्मकता को प्रभावित करता है।

भारत में खनन को और अधिक अनुकूल बनाने के लिये उठाए जाने वाले संभावित कदम:

- घरेलू अन्वेषण को प्रोत्साहन देना:**
 - हाल ही में, खान मंत्रालय ने **भारत में विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिये आवश्यक 30 अत्यंत आवश्यक खनियों (critical minerals)** की एक सूची जारी की है।
 - वडि टरबाइन, सोलर पैनल, बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन जैसी हरति प्रौद्योगिकियों के वनिश्माण के लिये ये आवश्यक हैं।
 - इन अत्यंत आवश्यक खनियों के घरेलू अन्वेषण को प्रोत्साहित करना (Incentivising) **वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन** तक पहुँचने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिये महत्वपूर्ण है।
- अन्वेषण मॉडल में बदलाव लाना:**
 - अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिये, वर्तमान के 'राजस्व को अधिकृतम करने' (revenue maximizing) मॉडल से 'अन्वेषण निविश प्रोत्साहन' (exploration investment incentivizing) मॉडल की ओर आगे बढ़ना आवश्यक है।
 - यह भारत में छोटे अन्वेषणकरताओं को भी आकर्षित कर सकता है जिन्होंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका में खनजि क्षेत्र के विकास में अच्छा योगदान दिया है।
- नजी उपयोगियों को प्रोत्साहित करना:**
 - महत्वपूर्ण गैर-परमाणु उपयोग रखने वाले अत्यंत आवश्यक खनियों (जैसे दुरलभ मृदा तत्त्व, लथियम, टाइटेनियम, नाइओबियम आदि) के खनन में नजी भागीदारी की अनुमति दी जानी चाहिये।
 - ऐसे गैर-व्यापक नजी खनियों को खान और खनजि (विकास और वनियमन) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग B से हटा दिया जाना चाहिये, जो परमाणु खनियों को सूचीबद्ध करता है।
 - अत्यंत आवश्यक खनियों के अन्वेषण में नजी क्षेत्र के लिये अधिक अवसर का अर्थ होगा अधिक खनन दक्षता और भारत के लिये अधिक

आत्मनिभरता, जसिसे भारत के खनजि आयात बलि में कमी आएगी।

■ एक स्वतंत्र नियामक संस्था का गठन करना:

- राज्य और केंद्र सत्र पर वभिन्न सततारूढ़ दलों के बीच स्पष्टता के अभाव की स्थितिको खनन क्षेत्र के विकास हेतु बाधक नहीं बनने दिया जाना चाहयि।
 - इसलिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की आवश्यकता है जसिसार्वजनकि और आरथिक विकास के व्यापक हति में कार्य करने की शक्ति सौंपी जानी चाहयि।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी पक्ष विशेष को अधिक लाभ नहीं दिया जाए और देश के समग्र लाभ के लिये संसाधनों के उपयोग को अधिकतम किया जाए।

अभ्यास प्रश्न: चूँकि भारत अपनी अरथव्यवस्था में वनिश्माण की हस्तिसेवारी को बढ़ाने के लिये प्रयासरत है, उसे ऐसे नीतिगत सुधारों के माध्यम से खनजि उत्पादन का वसितार करना चाहयि जो भारत की खनन क्षमता के अन्वेषण में बेहतर सहायता प्रदान करता हो। चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न. भारत में गौण खनजि के प्रबंधन के संदर्भ में, नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये:

- 1- इस देश में विद्यमान विधिके अनुसार रेत एक 'गौण खनजि' है।
- 2- गौण खनजिओं के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्तिराज्य सरकारों के पास है, किन्तु गौण खनजिओं को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियाँ केन्द्र सरकार के पास हैं।
- 3- गौण खनजिओं के अवैध खनन को रोकने के लिये नियम बनाने की शक्तिराज्य सरकारों के पास है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत में ज़िला खनजि फाउंडेशन का/के क्या उद्देश्य है/हैं? (2016)

1. खनजि समृद्ध ज़िलों में खनजि अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा देना
2. खनन कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों के हतों की रक्षा करना
3. राज्य सरकारों को खनजि अन्वेषण के लिये लाइसेंस जारी करने हेतु अधिकृत करना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्न:

प्रश्न : गोंडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बहुत कम प्रतिशित योगदान है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

